स्मरण–पत्र–2
तुंरत/अति आवश्यक
रजिस्टर्ड
प्रेषक

महानिनेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ

सेवा में

1. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा,
   शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला
2. निदेशक, राज्य परिवहन, हरियाणा चण्डीगढ।
3. मुख्य अभियंन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) हरियाणा चण्डीगढ।
4. महानिदेशक, पुलिस विभाग, हरियाणा पंचकूला।
5. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां हरियाणा, पंचकूला।
6. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा चण्डीगढ।
7. निदेशक, भूमि जोत एवं भूमि–अभिलेख एवं चकबंदी विभाग हरियाणा पंचकूला।
8. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकूला।
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस काम्पलैक्स, सुनारिया रोहतक।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी।
11. महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, नूहं।
12. अधीक्षक अभियंन्ता, लोक निर्माण सर्कल, भिवानी।
13. महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज, रोहतक।
14. जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक।
15. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार।
16. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरूक्षेत्र।

यादी कमांक टीए–हर–4टी/2025/ दिनांकः–

विशयः Regarding implementation of Hon'ble High Court decision in COCP No. 1068 of 2025 in CWP 1281 of 2020 Shyam Sunder and others Vs Anurag Rastogi and Another.

उपरोक्त विषय में इस विभाग के पत्र कंमाक 3718019 टीए–हर–4टी/2025/498–503 दिनांक 04.02.2025, पत्र कंमाक 3765476 टीए–हर–4टी/2025/1416–33 दिनांक 11.03.2025 तथा पत्र कंमाक टीए–हर–4टी/2025/655–72 दिनांक 19.03.2025 के संदर्भ में।

विषयाधीन केस में सन्दर्भाधीन पत्र के द्वारा आपको माननीय पजांब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में याचिकाकर्ताओं को अनुभाग अधिकारी पार्ट–1 की समय अवधि के सबंध में वेतन नियत करते हुए ऐरियर के भुगतान के बाद पे–आर्डर/ई0पी0एस0 की प्रति इस विभाग को भेजने बारे लिखा गया था ताकि माननीय हाईकोर्ट के आदेशों की पालना की जा सके परंतु इस सबंध में सभी सबंधित विभागों (जिनमें कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अनुभाग अधिकारी पार्ट–1 के रूप में कार्य किया गया है) से पूर्ण सूचना/दस्तावेज इस विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता वर्तमान में आपके कार्यालयों में कार्यरत है तथा कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड/सेवापुस्तिका भी आपके

CamScanner

कार्यालय में उपलब्ध है। कर्मचारी/अधिकारी अनुभाग अधिकारी पार्ट– 1 की सेवा अवधि में किस–किस कार्यालय में कार्यरत रहे हैं उन कार्यालयों से सम्पर्क करके माननीय हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त स्थिति में आपसे पुनः अनुरोध है कि आप याचिकाकताओं की अनुभाग अधिकारी पार्ट–1 की समयअवधि का वेतन नियत करते हुए ऐरियर के भुगतान के बाद पे–आर्डर/ई0पी0एस0 की प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक कोई सूचना विभाग में प्राप्त नहीं होती है तो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ की अवमानना के लिए सबंधित विभाग स्वंय जिम्मेवार होगें। COCP की अगली सुनवाई 02.05.2025 निर्धारित है ।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

सयुंक्त निदेशक
कृतेः महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चंड़ीगढ

पृ0 कमांक टीए–हर–4टी/2025/ दिनांकः–

इसकी एक प्रति अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार वित विभाग, वि0ले0 शाखा को उनके पत्र कमांक 29/64/2020–5एफ0ए0 दिनांक 28.03.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है।

संयुक्त निदेशक
कृतेः महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चंड़ीगढ

पृ0 कमांक टीए–हर (4टी) 2025/ 2527 दिनांकः– 22/04/25

इसकी एक प्रति श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर, खजाना तथा लेखा विभाग हरियाणा चण्डीगढ कार्यरत एन.आई.सी, हरियाणा सिविल सचिवालय को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि इसे विभाग की साईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग
हरियाणा चण्डीगढ।